25.02.2026

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 14.01.2026 पर बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये तर्क पेश किया गया है कि हस्तगत वाद में वसीयत दिनांक 03.10.2004 जो कि श्रीमती विमला देवी ने निष्पादित की है। उक्त वसीयत के गवाह श्री किरण बलवन्त राय नायक का साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त गवाह बीमार होकर चलने–फिरने की स्थिति में नहीं होकर यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि गवाह की रीढ़ की हड्डी में भी बीमारी होने से चिकित्सक ने यात्रा करने से मना किया है। अतः ऐसी स्थिति में गवाह किरण बलवन्त राय नायक के बयान वी.सी. के माध्यम से लिये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रतिवादी सुनील आर. मित्तल ने अपना शपथ पत्र पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क पेश किया गया है कि गवाह किरण बलवन्तराय नायक बीमार होकर चलने–फिरने में असमर्थ होने अथवा यात्रा करने में असमर्थ हो, इस बाबत प्रार्थना पत्र के साथ कोई मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रतिवादी के कथनों की पुष्टि नहीं होती है। उनका यह भी तर्क है कि वसीयत प्रदर्श–2 का गवाह किरण बलवन्तराय नायक से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से जिरह की जानी है, जिसका व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने पर ही उक्त जिरह की जा सकती है। इस प्रकार की जिरह वी.सी. के जरिये नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत आपराधिक अपील संख्या 697/2024 राजकुमार उर्फ भीमा बनाम देहली राज्य,में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2025 प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Therefore, we hereby clarify and direct that in every case where, it is proposed to record the statement of a witness over video conferencing and any previous written statement of such witness or a matter in writing is available and the party concerned is desirous of confronting the witness with such previous statement/matter in writing, the trial Court shall ensure that a copy of the statement/document is transmitted to the witness through electronic transmission mode and the procedure provided under Section 147 and Section 148 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (corresponding Section 144 and Section 145 of the Evidence Act) is followed in the Crl. Appeal@ SLP (Crl.) No(s). 697/2024 letter and spirit, so as to safeguard the fairness and integrity of the trial.

उभयपक्ष के तर्क पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत वाद वादी द्वारा दिनांक 17.04.2003 को रतनलाल भीमराज मित्तल तथा दिनांक 03.10.2004 को श्रीमती विमला देवी द्वारा निष्पादित वसीयतों को निरस्त करवाने बाबत पेश किया गया है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी की ओर से श्रीमती विमला देवी द्वारा दिनांक 03.10.2004 को निष्पादित की गयी वसीयत के गवाह किरण बलवन्तराय नायक के चलने–फिरने एवं यात्रा करने में असमर्थ होने के कारण उक्त गवाह के बयान जरिये वी.सी. लेखबद्ध किये जाने बाबत पेश किया गया है, जो कि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वसीयत के गवाह किरण बलवन्तराय नायक चलने–फिरने में असमर्थ हो, गवाह को चिकित्सक ने यात्रा करने से इन्कार किया हो, ऐसा कोई भी चिकित्सकीय दस्तावेज प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में पेश नहीं किया गया है कि गवाह को क्या बीमारी है, बीमारी की प्रकृति क्या है, वह चलने–फिरने में असमर्थ हो ऐसी भी कोई चिकित्सकीय दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ऐसी कोई सामग्री न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है, जिससे यह माना जा सके कि गवाह न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देने में पूर्णतया असमर्थ हो। हस्तगत वाद में गवाह श्रीमती विमला द्वारा दिनांक 03.10.2004 को निष्पादित वसीयत प्रदर्श–2 का गवाह है, जो कि वाद का अति–महत्वपूर्ण गवाह है, जिससे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दस्तावेज दिखाने एवं पठित करवाने बाबत विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया जाना आवश्यक होने के कारण ऐसे महत्वपूर्ण गवाह की साक्ष्य जरिये वी.सी. लेखबद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण प्रतिवादी की ओर से पेश किया गया उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 14.01.2026 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। यहॉ यह निर्देशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रतिवादी यदि चाहे तो गवाह को आगामी तारीख पेशी पर वास्ते जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित कर साक्ष्य पूर्ण करवा सकता है।

पत्रावली वास्ते जिरह डी.डब्ल्यू– 3 किरण बलवन्तराय नायक हेतु दिनांक 07.03.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।